न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 243/2024

अनवान : –

1. बाबुसिंह पुत्र इन्द्राज जाति राजपुत निवासी मलवानी तहसील नोहर।

–वादी

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

– प्रतिवादी

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88
राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता **वादी**
पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः 26/02/26

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया की रोही मौजा चक 3 बारानी तहसील नोहर के खाता स0 438/360 की कुल 13.6620 हैक्ट भूमि में से 1003/34155 हिस्सा भूमि वादी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम बाबु सिह उर्फ बालु सिह पुत्र इन्द्राज सिंह जाति राजपुत दर्ज हैं जबकि वादी का सही व वास्तविक नाम बाबुसिंह पुत्र इन्द्राज सिंह जो की वादी के समस्त दस्तोवजों यथा आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र व संरपंच ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्तुत तस्दीक मे दर्ज है। वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में गलत दर्ज होने से वादी के खातेदारी हकों का हनन हो रहा है। अत वादी अपना नाम राजस्व रिकार्ड में अपना नाम बाबुसिंह उर्फ बालुसिंह पुत्र इन्द्राज के स्थान पर बाबुसिंह पुत्र इन्द्राज सिंह दर्ज करवाना चाहता हैं वादी का वादी डिक्री किया जावे।

वादीगण ने प्रतिवादी स0 1 को कई दफा कहा की मुताबिक दस्तावेजात वादी का नाम दुरूस्त कर देवे तो प्रतिवादी स0 1 कुछ दिन तो आजकल करते रहे कितु अंत में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। तहसीलदार द्वारा जवाब पेश किया गया जो की शामिल मिसल किया गया।

बहस वकील वादी सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम बाबु सिह उर्फ बालु सिह पुत्र इन्द्राज सिंह जाति राजपुत दर्ज हैं जबकि वादी का सही व वास्तविक नाम बाबुसिंह पुत्र इन्द्राज सिंह जो की वादी के समस्त दस्तोवजों यथा आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र व संरपंच ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्तुत तस्दीक मे दर्ज है। वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में गलत दर्ज होने से वादी के खातेदारी हकों का हनन हो रहा है। अत वादी अपना नाम राजस्व रिकार्ड में अपना नाम बाबुसिंह उर्फ बालुसिंह पुत्र इन्द्राज के स्थान पर बाबुसिंह पुत्र इन्द्राज सिंह दर्ज करवाना चाहता हैं वादी का वाद डिक्री किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.03.04 12:54:50 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

हमारे द्वारा अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 3 बारानी तहसील नोहर के खाता स0 438/360 की कुल 13.6620 हैक्ट भूमि में से 1003/34155 हिस्सा भूमि वादी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादी का कथन है कि उक्त राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम बाबु सिह उर्फ बालु सिह पुत्र इन्द्राज सिंह जाति राजपुत दर्ज हैं जबकि वादी का सही व वास्तविक नाम बाबुसिंह पुत्र इन्द्राज सिंह जो की वादी के समस्त दस्तोवजों यथा आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र व संरपंच ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्तुत तस्दीक मे दर्ज है। वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में गलत दर्ज होने से वादी के खातेदारी हकों का हनन हो रहा है। अत वादी अपना नाम राजस्व रिकार्ड में अपना नाम बाबुसिंह उर्फ बालुसिंह पुत्र इन्द्राज के स्थान पर बाबुसिंह पुत्र इन्द्राज सिंह दर्ज करवाना चाहता हैं, लेकिन वादी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज पेश नही किया गया है जिससे यह साबित हो की वादी के वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज नाम कैसे दर्ज हुआ अर्थात की किस आदेश के द्वारा दर्ज हुआ है वादी द्वारा वाद बाबत संतोषजनक दस्तावेज पेश नही किये गये है। अतः वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के अभाव में वाद वादी स्वीकार योग्य नही है।

अतः वादी द्वारा साक्ष्य सबूतों के अभाव में साबित नही होने के कारण वाद वादी खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हों । पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 26/02/26 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.03.04 12:54:50 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 243/2024

अनवान : –

1. बाबुसिंह पुत्र इन्द्राज जाति राजपुत निवासी मलवानी तहसील नोहर।

–**वादी**

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

– **प्रतिवादी**

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 243 सन 2024 निर्णय दिनांक 26/02/26

आज यह वाद मुझ राहुल श्रीवास्तव उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्ष की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों के अभाव में साबित नही होने के कारण खारिज किया जाता है।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 26/02/26 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी कि गई।

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.03.04 12:54:50 IST
Reason: SelfAttested